कार्यालय चुनाव अधिकारी

श्री अग्रसेन नॉर्थ-एक्स वेलफेयर सोसाइटी (पंजी.)

श्री अग्रसेन इंटरनेशनल होस्पीटल, प्रथम तल, पी.एस.पी., सेक्टर-22, रोहिणी, दिल्ली–110086

दिनांक: 03.09.2025

अधिसूचना – चुनाव 2025 - 28

आदरणीय ट्रस्टीगण,

श्री अग्रसेन नॉर्थ–एक्स वेलफेयर सोसाइटी (पंजी.) के पदाधिकारियों का चुनाव कराने हेतु। मुझे रोहिणी कोर्ट के द्वारा, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। मैं, सीमा मैनी (Principal District & Sessions Judge (Retd.)) इस पत्र के द्वारा आपको चुनाव की अधिसूचना भेज रही हूँ, जिसका विवरण इस प्रकार है:-

चुनाव की तारीख : रविवार, 28 सितम्बर, 2025

1. वोटिंग का समय : प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक
2. मतगणना की तारीख : सोमवार 29 सितम्बर, 2025 - सुबह 8:00 बजे से
3. चुनाव स्थान तय करने के बाद आपको शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जायेगा।

1. पदाधिकारियों एवं नियंत्रण मंडल के सदस्यों के चुनाव हेतु पदों का विवरण निम्न प्रकार है:

अ. पदाधिकारी (कुल सोलह पद) 16

पद	संख्या
मुख्य संरक्षक	1
प्रधान	1
वरिष्ठ उप-प्रधान	2
उप-प्रधान	5
महामंत्री	2
मंत्री	3
कोषाध्यक्ष	2

Smaini

ब. नियंत्रण मंडल (Control Board) (कुल चोदह पद-14)

पद		संख्या
चेयरमैन संस्था	:	01
चेयरमैन कंट्रोल बोर्ड	:	01
नियंत्रण मण्डल सदस्य	:	12

नोट नं. 1 सभी पैट्रन ट्रस्टी एवं ट्रस्टी पदाधिकारियों के पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं तथा मतदान कर सकते हैं एवं प्रस्ताव व अनुमोदन कर सकते हैं।

नोट नं. 2 नियंत्रण मंडल के चुनाव हेतु केवल पैट्रन ट्रस्टी ही चुनाव लड़ सकते हैं और पैट्रन ट्रस्टी को ही मतदान करने का अधिकार है। इन पदों पर प्रस्ताव एवं अनुमोदन भी केवल पैट्रन ट्रस्टी कर सकते हैं।

<u>चुनाव कार्यक्रम</u>

2. पैट्रन ट्रस्टीयों और ट्रस्टीयों की मतदाता सूची दिनांक 05 सितम्बर 2025 से चुनाव कार्यालय से 4000/- रुपये प्रति सूची (प्रिंटेड फोटोकॉपी) एवं सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में नि:शुल्क ले सकते है। यदि पेन ड्राइव चुनाव कार्यालय से प्राप्त करना चाहें तो 1000/- रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

3. नामांकन-पत्र (फार्म) दिनांक 06 सितम्बर, 2025 से चुनाव कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। फार्म की फोटोकॉपी भी मान्य है। राशि का भुगतान नकद अथवा चेक द्वारा **"श्री अग्रसेन नॉर्थ एक्स वेलफेयर सोसाइटी"** के पक्ष में किया जाएगा।

4. नामांकन पत्र के साथ 5000/- रूपये की राशी अप्रतिदेय **(नॉन-रिफ़ंडेबल)** जमा करना आवशयक है।

5. नामांकन-पत्र (फार्म) दिनांक 09 सितम्बर, 2025 से 10 सितम्बर, 2025 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक चुनाव कार्यालय में प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा करवा सकेंगे। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक भोजनावकाश रहेगा।

6. प्राप्त नामांकन-पत्रों (फार्म) की सूची दिनांक 10 सितम्बर 2025 को शाम 5:00 बजे चुनाव अधिकारी कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगायी जाएगी।

Jmaini

7. प्राप्त नामांकन-पत्रों (फार्म) पर आपत्तियाँ, यदि कोई हों, तो दिनांक 11 सितम्बर 2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सुनी जायेंगी और इसके पश्चात् सायं 5:00 बजे तक नामांकन-पत्रों (फार्म) की जांच की जायेगी।

8. नामांकन–पत्र (फार्म) दिनांक 12 सितम्बर 2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक वापस लिये जा सकेंगे। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक भोजनावकाश रहेगा। जो प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं, वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से चुनाव अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निर्धारित नामांकन–वापसी प्रपत्र भरकर नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। चुनाव कार्यालय से रसीद प्राप्त करके तथा रजिस्टर में हस्ताक्षर करके नाम वापस लेने की पुष्टि प्रत्याशी कर सकेगा। यदि किसी प्रत्याशी को दिनांक 12 सितम्बर 2025 को कोई मजबूरी हो तो वह पूर्व में भी उपस्थित होकर अपना नाम वापस ले सकता है।

9. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की वैध सूची दिनांक 12 सितम्बर 2025 को सायं 5:00 बजे चुनाव कार्यालय के सूचना–पट्ट, स्वागत कक्ष (Reception) तथा रिटर्निंग ऑफिस के बाहर (Outside Returning Office) प्रदर्शित की जाएगी।

10. सभी प्रत्याशियों को दिनांक 13 सितम्बर 2025 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक चुनाव कार्यालय में चुनाव चिन्ह का आबंटन किया जाएगा। दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक भोजनावकाश रहेगा।

11. सभी प्रत्याशियों की अंतिम सूची चुनाव चिह्न सहित दिनांक 13 सितम्बर 2025 को सायं 5:00 बजे चुनाव कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी।

12. एक व्यक्ति केवल एक पद के लिए ही नामांकन-पत्र भर सकता है। यदि कोई प्रत्याशी एक से अधिक पद के लिए नामांकन–पत्र भरेगा तो उसके सभी नामांकन-पत्र स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। इस संबंध में सूचना चुनाव कार्यालय के सूचना–पट्ट, स्वागत कक्ष (Reception) तथा रिटर्निंग ऑफिस के बाहर (Outside Returning Office) प्रदर्शित की जाएगी।

13. जो व्यक्ति किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वह किसी अन्य पद पर प्रस्तावक / अनुमोदक नहीं बन सकता। यदि ऐसा होगा तो उसके सभी नामांकन–पत्र (फार्म) स्वतः ही रद्द हो जाएंगे।

14. एक व्यक्ति एक ही पद के लिए प्रस्तावक / अनुमोदक बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद पर प्रस्तावक / अनुमोदक बनेगा तो उसके सभी नामांकन–पत्र (फार्म) रद्द हो जायेंगे।

15. समस्त कार्य चुनाव अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्पन्न किये जायेंगे । सभी चुने हुए पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।

16. चुनाव गुप्त मतदान और मतपत्र (बैलेट पेपर) द्वारा ही करवाया जाएगा।

17. सभी पैट्रन ट्रस्टी एवं ट्रस्टी अपनी पहचान के लिए हॉस्पिटल का पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / आधार कार्ड अपने साथ अवश्य लायें।

18. सभी मतदाताओं से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि चुनाव को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करें।

19. मतदान केन्द्र में किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, कैमरा, बैग, घातक हथियार या तरल पदार्थ अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लाना वर्जित है और इसका उल्लंघन करने पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

20. मतदाताओं व प्रत्याशियों को समय-समय पर चुनाव कार्यालय द्वारा आवश्यक निर्देश दिये जाते रहेंगे जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

21. चुनाव अधिकारी द्वारा लिए गए सभी निर्णय अंतिम माने जाएंगे और उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

Smaini

सीमा मैनी

[प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दिल्ली (से.नि.)]

(चुनाव अधिकारी)

SEEMA MAINI
Principal District & Sessions Judge (Retd.)
Returning Officer
Shree Aggarsain North-Ex Welfare Society (Regd.)
PSP, Sector-22, Rohini, Delhi-110086

नोट :

1. वैध मतदाता सूची अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तैयार की जायेगी।
2. चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की सूची भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही तैयार की जायेगी।